

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी- श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या- 01/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/2

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट
जेतूसिंह पुत्र भंवरदान उम्र 45 वर्ष जाति चारण निवासी ढिगारिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन		1. नायब तहसीलदार, डीडवाना 2. हल्का पटवारी, खोजास, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.12.2023 बअनुवान प्रार्थी पटवारी हल्का खोजास बनाम अप्रार्थी श्री जेतूसिंह अन्तर्गत धारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 मुकदमा नम्बर 10/2023 को अपास्त करने बाबत।

निर्णय

दिनांक: 30.01.2024

- अपीलान्त द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अधीन रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, डीडवाना के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2023 बअनुवान प्रार्थी पटवारी हल्का खोजास बनाम अप्रार्थी श्री जेतूसिंह मुकदमा नम्बर 10/2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
- अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, खोजास द्वारा तहसीलदार, डीडवाना को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी की श्री जेतूसिंह पुत्र श्री भंवरदान जाति चारण निवासी ढिगारिया ने मौजा ढिगारिया के खसरा नम्बर 30 रकबा 0.51 हैक्टेयर किस्म गै0 मुमकिन रास्ता में से 0.02 हैक्टेयर पर सम्वत् 2079 में डोल बनाकर अतिक्रमण किया गया है। प्रकरण न्यायालय नायब तहसीलदार, डीडवाना द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी द्वारा मौजा ढिगारिया के खसरा नम्बर 30 रकबा 0.51 हैक्टेयर किस्म गै मुमकिन रास्ता में से 0.02 हैक्टेयर पर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है, अतः अप्रार्थी को राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने से धारा 91 एल आर एक्ट के तहत अतिक्रमी मानते हुये भूमि की लगान 0.22 रूपये का अतिक्रमित भूमि का 50 गुणा 11 रूपये शास्ति अधिरोपित की जाकर भू. अ. निरीक्षक निम्बी कलां व पटवारी हल्का खोजास को आदेशित किया गया कि अतिक्रमी को अतिक्रमित रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट प्रस्तुत करें एवं टी.आर.ए. मांगकायमी करें एवं निरीक्षक/पटवारी जुर्माना वसूल करें। अपीलार्थी को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.09.2023 को लिखत में नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया तथा दस्तावेज भी प्रस्तुत किये, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं कर आलौच्य आदेश पारित कर दिया। जिसकी सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई।
अपील अपीलान्त द्वारा निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई कि-
अपीलान्त के खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत वाके शरहद ढिगारिया खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 1.3750 हैक्टेयर है, जिस खेत के दक्षिण में कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 30 रखा है। जिसकी वर्तमान खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपिया अपील के साथ पेश है।




जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन



अपीलांट के खेत की दक्षिणी सीमा पर कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 30 रकबा 0.5100 हैक्टेयर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है तथा उक्त कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 30 के उत्तर में चिपते ही अपीलार्थी का खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 1.3750 हैक्टेयर है। उक्त रास्ते पर ग्राम पंचायत खोजास द्वारा नरेगा के तहत निर्माण प्रारम्भ किया गया। तब अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत खोजास के सरपंच महोदय को लिखित में निवेदन किया कि नरेगा द्वारा किये जा रहे कटाणी रास्ता का जहां रास्ता है, वहीं नाप व सीमाज्ञान करवाकर ही नरेगा द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जावे तथा अपीलांट ने तहसीलदार महोदय व सहायक कलक्टर, डीडवाना को लिखित में निवेदन किया कि जहां कटाणी रास्ता नवशें में हो वहीं सीमाज्ञान करवा कर ही निर्माण करावे, जिस पर तहसीलदार महोदय, डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक आनु/राजस्व/2022/107 दिनांक 25.01.2022 के द्वारा सात राजस्व कर्मचारियों द्वारा टीम गठित कर नाप-चौक हेतु भेजा गया। जिन्होंने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.01.2022 में स्पष्ट उल्लेख किया कि इस रास्ते का सीमांकन पूर्व में भी तहसील राजस्व टीम द्वारा किया जा चुका है। पूर्व के सीमांकन में ये तथ्य सामने आया कि मौका पर मौजूद मुस्तकिन विन्दुओं का मौजूदा नक्शा से मेल नहीं खाया जा रहा है, अतः उक्त रास्ते का सही सही सीमांकन भूप्रबन्ध विभाग की टीम के साथ ही किया जाना सम्भव हो सकेगा, क्योंकि किये गये सीमांकन से सड़क पर अवस्थित खातेदार सहमत नहीं है। फिर भी उक्त मौका रिपोर्ट पर गौर नहीं कर यह आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 26.09.2023 को उक्त प्रकरण में अपना लिखित जवाब भी पेश किया तथा जवाब में पूर्व में गठित राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का उल्लेख भी किया गया, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई फाईन्डिंग नहीं देकर बिना साक्ष्य लिये ही आदेश पारित कर दिया। अपीलांट ने कटाणी रास्ते खसरा नम्बर 30 रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि पर एक इंच भी अतिक्रमण नहीं किया गया तथा अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 17 के दक्षिण विन्दुओं का नाप 405 बताया गया, जो 62 गट्टा है, जिसका नक्शा में भी उल्लेख है, जो नक्शा नागौर से मय तरमीम सन् 1960-61 में दर्ज है, उत्तर की भुजा 165 गट्टा है, मगर मौके पर अपीलार्थी की भूमि 324 फुट है जिसका उल्लेख भी जवाब दावा में किया गया फिर भी आदेश पारित कर दिया गया। अपीलांट खेत खसरा नम्बर 17 के रास्ता छोड़ कर खसरा नम्बर 31 का खातेदार पूर्णाराम एवं खसरा नम्बर 232/31 के खातेदार नानुराम को भी नोटिस दिया तथा दोनों खातेदारान ने भी मौके पर अवस्थित रास्ता का नाप सही किया जाकर ही सीमा कायम की जावे तथा उक्त खातेदार को भी धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत दोषी माना मगर मौके पर उक्त खातेदारान की रास्ते की सीमा पर कोई अतिक्रमण नहीं हटा कर केवल मात्र अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 17 की भूमि में एक पक्षीय व बिना नाप चौक किये ही सीमा को हटा दिया, जबकी सामने वाले खातेदारान की सीमा आज भी उसी अवस्था में मौजूद है, जो छाया चित्र से स्पष्ट है। मौके पर रास्ता की चौड़ाई दो गट्टा यानी 12 फुट ही नक्शा मौका व राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है, मगर यदि रास्ता चौड़ा करना हो तो रास्ते के मध्य से भू-प्रबन्धक विभाग से नाप चौक करवा कर ही की जा सकती है जबकि सम्पूर्ण रास्ता ही अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में डाला गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को भी रेकॉर्ड पर बिना लिए एवं साक्ष्य सफाई का कोई अवसर नहीं देकर अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बिना विधिक कार्यवाही पूर्ण किये ही आदेश पारित कर दिया गया। जबकि समस्त खातेदारान भी यही चाहते हैं कि राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार ही कटाणी रास्ता जहां पूर्व में सन् 1960-61 से जहां कायम है, वहीं पर निर्माण किया जावे।

3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में किये गये कथनों को हूबहू दोहराते हुए उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 21.12.2023 को अपारत कर उक्त पत्रावली को पुनः रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।




जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचासन

4. रेस्पोंडेन्ट नायब तहसीलदार, डीडवाना ने बहस में कथन किया की पटवारी हल्का, खोजास द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार, डीडवाना में प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पक्षकारान को नोटिस जारी कर नियमानुसार सुनवाई की जाकर विधिक रूप से आदेश पारित किया गया। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाये।

बहस पर गनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 30 रास्ते के नाम दर्ज है। अपीलांत द्वारा उपलब्ध कराये गये फोटोग्राफ से भी स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है कि उक्त भूमि रास्ते के रूप में ही उपयोग में आ रही है। फोटोग्राफ से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि जिस खसरा नम्बर से अतिक्रमण हटाया गया उस पर कभी काश्त की गई ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। अपीलांत ने अपील का मुख्य आधार पूर्व में की गई संयुक्त जांच रिपोर्ट को बनाया है। उक्त मौका रिपोर्ट में किसी खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है न ही यह मौका रिपोर्ट किस प्रकरण में बनाई गयी है उक्त प्रकरण का आगे क्या निर्णय रहा उक्त तथ्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये ऐसी स्थिति में एक मात्र मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की जा सकती।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटी किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है। अपीलांत की अपील आधारहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.01.2024 को सुनाया गया।



(बाल मुकुन्द असीवा, IAS)
जिला ~~जिला~~ कलेक्टर मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचासन